केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

दिनांक: 01.02.2018

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/28

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00028
CICOM/R/2018/00011

अपीलकर्ता : श्री सुरेश चन्द्र, पुत्र – स्व0 श्री राम चन्द्र,
ग्राम – तारागांव, डाकघर – हंडिया,
परगना – केवाई, थाना व तह0 – हंडिया,
जनपद – इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश – 221503.

निर्णय की तारीख : 01.02.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	20.12.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	04.01.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	15.01.2018

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 20.12.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा धारित कोई सूचना नहीं मांगी गई थी, बल्कि यह अनुरोध किया गया था कि भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद के शाखा प्रबंधक को अपीलकर्ता के पेंशन के संबंध में उचित कार्यवाही करने का आदेश दें, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा बताया गया कि *"आपने केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा धारित कोई सूचना नहीं मांगी है बल्कि भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को आदेश देकर आपके पेंशन मामले को निपटाने का अनुरोध किया है जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग के न्यायायिक एवं प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में नहीं है । उल्लेखनीय है कि सूचना अधिकारी अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग केन्द्रीय सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत विभागों/कार्यालयों के विरुद्ध द्वितीय अपीलीय अधिकरण है ।"* इसके साथ-साथ श्री ए. के. शर्मा द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल करने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण भी दिया गया है । परन्तु अपीलकर्ता ने श्री ए. के. शर्मा द्वारा बताई गई द्वितीय अपील प्रक्रिया का अनुपालन न कर प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता द्वारा उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुरूप है एवं इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम अपील हेतु कोई शुल्क देय नहीं है, अतः प्रथम अपील आवेदन के साथ संलग्न दस रु0 का भारतीय पोस्टल आर्डर सं. 41 एफ 830691 अपीलकर्ता को वापस किया जाता है ।

संलग्नक - दस रु0 का भारतीय पोस्टल आर्डर सं. 41 एफ 830691

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

C. I. C. के. सू. आ.
RECEIVED
02 FEB 2018
D. No.............
Initials.............